

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- ६४ /2024/3084/77-6-2022-01(लॉजिस्टिक्स)/2024
लखनऊ : दिनांक १५ दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल "उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024" को प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- "उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024" संलग्न है।

१५/१८
(अभिषेक प्रकाश)
सचिव।

संख्या- ६४ /2024/3084(1)/77-6-2024-01(लॉजिस्टिक्स)/2024. तदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी०।
6. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
- 10.आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 11.निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 12.समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
- 13.गार्ड फाइल।

आजा से,
१५/१८
(रामध्यान रावत)
उप सचिव।

**उत्तर प्रदेश मल्टी—मॉडल
लॉजिस्टिक्स पार्क
नीति—2024**

लॉजिस्टिक्स भारत में वर्ष-2020 में 215 बिलियन यूएस0 डालर की इण्डस्ट्री रही है, जो वर्ष 2032 तक बढ़कर 360 बिलियन यूएस0 डालर की होगी (एशियन डेवलपमेंट बैंक जून, 2020)। इफिशियेंट लॉजिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने तथा जी0एस0टी0 रेजिम का सम्पूर्ण बेनीफिट अर्थव्यवस्था को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। लॉजिस्टिक्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर्स का स्टेटस वर्ष-2017 में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है ताकि इस सेक्टर में आसानी से तथा बेहतर टर्म पर ऋण प्राप्त हो सके एवं सेक्टर को एक्सटर्नल कामर्शियल बोरोईंग तथा लॉग टर्म फण्ड्स मिल सके।

2. भारत, वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफार्मेंश इंडेक्स-2018 में दुनिया में 44वें स्थान पर था तथा वर्ष-2023 में 38वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में 4.3 स्कोर के साथ सिंगापुर पहले स्थान पर है। देश में लॉजिस्टिक्स की लागत ऊँची है तथा इफिशिएंसी लो है। देश की अर्थव्यवस्था में 13-14 प्रतिशत लॉजिस्टिक्स की लागत है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बैंचमार्किंग 7-8 प्रतिशत है। सड़क मार्ग से परिवहन में वर्तमान लागत रु. 1.9 प्रति टन प्रति किलोमीटर आती है, जो अमेरिका की तुलना में दो गुना अधिक है। उक्त के अतिरिक्त देश में फ्रेट माल वाहक की एवरेज स्पीड 50-60 प्रतिशत कम है।

3. भारत में 60 प्रतिशत फ्रेट की ढुलाई सड़क मार्ग से होता है। रेल मार्ग से परिवहन कम है, जबकि इसकी लागत सड़क मार्ग की तुलना में 45 प्रतिशत कम होता है।

4. वर्तमान में वेयरहाउसिंग सेक्टर काफी हद तक अनऑर्गनाईज्ड है, जिसमें बड़ी संख्या में प्लेयर्स छोटे-छोटे वेयरहाउसिंग के साथ कार्यरत हैं, जिससे इकोनॉमी आफ स्केल नहीं प्राप्त हो रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना से इकोनॉमी ऑफ स्केल बड़ी तथा इन्टीग्रेटेड वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। वर्तमान लॉजिस्टिक व्यवस्था में छोटे व इनइफिशिएंट ट्रक भी शामिल हैं। भारत में एवरेज ग्रॉस व्हकिल वेट 16-25 मी0टन है, जबकि चीन में यह 26-39.9 मी0टन है। 9 मी0टन के ट्रक पर परिवहन लागत रु. 3.56 प्रति टन प्रति किलोमीटर आती है, जो कि 40 मी0टन ट्रक पर आने वाली परिवहन लागत से 2.5 गुना अधिक है।

5. बड़े मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क/हब्स, जो फेट कन्सोलिडेशन एवं डिस्एग्रीगेशन सेन्टर होते हैं की अनुपलब्धता की बजह से प्वाईट दू प्वाईट फेट की लागत अधिक होती है। इस सेक्टर में इफिशिएंसी कम होने का एक कारण यह भी है कि बहुत छोटी फर्म कम मजदूरी देते हुए अनस्कल्ड लेबर्स के माध्यम से कार्य करते हैं और इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी तथा माडर्न इक्यूपमेंट्स आदि के इस्तेमाल से जो इफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है वह प्राप्त नहीं हो पाती है।

6. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क उपरोक्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करते हैं :-

- i. अवस्थापना सुविधाएं जहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फेट ट्रांसफर सीमलेशनी करेंगे।
- ii. मैकेनाईज्ड वेयरहाउस तथा स्पेशलाईज्ड स्टोरेज सॉल्यूशन, कोल्ड स्टोरेज आदि।
- iii. मैकेनाईज्ड मैटीरियल हैण्डलिंग एवं इन्टर माडल ट्रांसफर कन्टेनर टर्मिनल, बल्क एण्ड ब्रेक कार्गोटर्मिनल।
- iv. वैल्यू एडेड सर्विसेज उदाहरणः कस्टम क्लीयरेंश, बाण्डेड स्टोरेज, क्वारनटाईन जोन, टेस्टिंग फैसिलीटिज एण्ड वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज।
- v. लैट स्टेज मैन्युफैक्चरिंग एकिटविटी उदाहरणः किटिंग, फाईनल एसेम्बली, ग्रेडिंग शॉर्टिंग, लेबलिंग एवं पैकेजिंग एकिटविटी, रि-वर्किंग एवं रिटर्न मैनेजमेंट।

7. उपरोक्त के अतिरिक्त मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क इन्लैण्ड कंटेनर डिपो और कंटेनर फेट स्टेशन की इफिशिएंसी भी बढ़ाने में मदद करते हैं। सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय के अनुमान के अनुसार लॉजिस्टिक पार्क ट्रांसपोर्टेशन की लागत में 10 प्रतिशत की कमी कर सकते हैं, इससे कार्बनडाई आक्साईड के उत्सर्जन में कमी होने के साथ-साथ शहरों के कन्जेशन को भी कम किया जा सकता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शहरों में स्थित वेयरहाउस व होल सेल मार्केट को शहरी सीमा के बाहर लॉजिस्टिक पार्क में ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ रेण्टल की लागत कम होगी। माडर्न तथा

मैकेनाईज्ड स्टोरेज सर्विसेज स्टोरेज तथा हेण्डलिंग के लॉसेज को भी कम करने में मदद करेगी।

8. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निम्न फंक्शंस प्रोवाइड करायेंगे :-

- i. फ्रेट एग्रीगेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन
- ii. मल्टी मॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट
- iii. इन्टीग्रेटेड स्टोरेज एण्ड वेयरहाउसिंग, इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी सपोर्ट
- iv. वैल्यू एडेड सर्विसेज।


9. अतः, पात्र मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परियोजनाओं में निम्नलिखित व्यवस्थाएं / सुविधाएं (सांकेतिक) होंगी :-

1. लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, यथा—कार्गो एकत्रीकरण / पृथक्करण, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग / रिपैकेजिंग, टैगिंग / लेबलिंग, वितरण / उपभोक्ता—वितरण, कार्गो तथा कंटेनरों का अंतर—मोडल स्थानांतरण, खुला तथा / अथवा बंद भंडारण, नियंत्रित तापमान तथा / अथवा परिवेश भंडारण, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कंटेनर टर्मिनल, मैटिरियल हैंडलिंग उपकरण तथा माल की हैंडलिंग एवं आवागमन हेतु अन्य लॉजिस्टिक्स संबंधी सुविधाएं।

2. अवस्थापना सुविधाएं, यथा—आंतरिक सड़कें, आंतरिक सार्वजनिक परिवहन, विद्युत लाइनें, फीडर, संचार सुविधाएं, खुले तथा हरित स्थान, जल वितरण तथा जल संवर्धन सुविधाएं, सीवेज तथा जल निकासी लाइनें, अपशिष्ट उपचार तथा निस्तारण सुविधाएं, अग्निशमन व्यवस्था तथा आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाएं।

3. गैर—लॉजिस्टिक्स सेवाएं:

- i. व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक सुविधाएं, यथा—डॉरमिटरी, अतिथि गृह, कैटीन, स्वास्थ्य केंद्र एवं डिस्पेंसरी, पेट्रोल पंप एवं ईवी चार्जिंग स्टेशन, बैंकिंग एवं वित्त, कार्यालय हेतु स्थान एवं प्रशासनिक कार्यालय।
- ii. सामान्य सुविधाएं, यथा—वेट ब्रिज, कौशल विकास केंद्र, कंप्यूटर सेंटर, सब—कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, उत्पादन निरीक्षण केंद्र, वाहनों तथा उत्पादन मशीनरी हेतु मरम्मत केंद्र।



10. प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कस के विकास से प्रदेश के अन्दर अवस्थित मेन्युफैक्चरिंग सेक्टर व अन्य सेक्टर्स की कम्पेटेटिवनेस बढ़ायी जा सकती है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक कास्ट की लागत घटेगी।

11. अन्य देशों में मल्टी मॉडल लाजिस्टिक पार्क को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न रियायतें दी जाती हैं। कतिपय महत्वपूर्ण पॉलिसीज का विवरण निम्नवत् है:-

a. **यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका**:- इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश एण्ड जोब्स एक्ट :- इस एक्ट के अन्तर्गत 1.2 ट्रिलियन डालर इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिसमें फेट एवं लॉजिस्टिक इम्प्रूवमेंट शामिल हैं के निर्माण के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब के निर्माण हेतु ग्रान्ट देने का प्राविधान है।

यूनाईटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के विभिन्न राज्यों द्वारा भी टैक्स केल्डिट, ग्रान्ट और सब्सिडी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है।

b. यूरोपियन यूनियन-

- i. कनेक्टिंग यूरोप फैसिलिटीज (CEF)– इसके अन्तर्गत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नैटवर्क को वित्त पोषित किया जाता है।
- ii. यूरोपियन रीजनल डेवलपमेंट फण्ड (ERDF) – यह फण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें लॉजिस्टिक पार्क तथा इन्टर माडल ट्रांसपोर्ट हब शामिल हैं, उन्हें ग्रान्ट तथा सब्सिडी उपलब्ध कराता है।
- iii. TEN-T (द्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नैटवर्क)– इसके अन्तर्गत यूनीफाईड ट्रांसपोर्ट नैटवर्क जिसमें मल्टी मॉडल कॉरीडोर एवं लॉजिस्टिक पार्क शामिल हैं, को प्रोत्साहित किया जाता है।

c. चाईना- विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराना, टैक्स फ्री एवं अन्य सब्सिडी मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब के विकास के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

d. रसिया-

- i. रसियन रेलवेज (RZD) इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम– इसमें सरकारी रेल कम्पनी, मल्टी मॉडल टर्मिनल व लाजिस्टिक पार्क का ज्वाईट वेंचर में विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है।
- ii. फॉर ईस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम– रसियन सरकार ने टैक्स इन्सेन्टिव और सब्सिडी, लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स, जिसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शामिल हैं को फॉर ईस्ट में प्रमोट करने के लिए उपलब्ध कराती है।

e. ब्राजील-

- i. नेशनल लाजिस्टिक एण्ड ट्रांसपोर्ट प्लान– इसके अन्तर्गत लॉजिस्टिक कॉरीडोर और मल्टी मॉडल फैसिलिटीज पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप में विकसित किये जाते हैं।
- ii. इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम (PPI) इसमें ब्राजील की सरकार विभिन्न वित्तीय व रेगुलेटरी इन्सेन्टिव जैसे- टैक्स बेनीफिट आदि लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उपलब्ध कराती है।

f. यूनाईटेड अरब अमीरात-

i. दुबई इण्डस्ट्रियल स्ट्रैटजी 2030— इस स्ट्रैटजी के अन्तर्गत मल्टी मॉडल इन्फास्ट्रक्चर, जिसमें समुद्र, वायु व रोड ट्रांसपोर्ट को शामिल करते हुए मल्टी मॉडल इन्फास्ट्रक्चर विकसित किया जाए, उसके लिए इन्सेन्टिव उपलब्ध कराया जाता है।

ii. **फ्री जोन्स**— जावेल अली फ्री जोन में लॉजिस्टिक पार्क निर्माण में टैक्स एग्जम्पशन उपलब्ध कराया जाता है।

g. भारत सरकार द्वारा भारत माला प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पी०पी०पी० मोड पर देश में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

h. भारत के विभिन्न राज्यों में वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक के ऊपर लैण्ड सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी व इन्टरेस्ट सब्सिडी उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है, परन्तु मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विषय पर कोई नीति नहीं है।

12. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की वायबिलिटी/सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह कन्जम्पशन सेंटर तथा इण्डस्ट्रियल वलस्टर के कितने समीप है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की सफलता रेल, रोड व एयर फ्रेट से नजदीकी पर भी निर्भर करती है। उपरोक्त अवस्थापना सुविधाओं से युक्त कन्जम्पशन सेंटर व इण्डस्ट्रियल वलस्टर के पास भूमि की लागत अधिक होती है।

13. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए बहुत बड़े क्षेत्रफल की भी आवश्यकता होती है तथा इनके सफल संचालन के लिए विकासकर्ता को लास्ट मार्डल रेल, रोड तथा वायु हेतु कनेक्टिंग इन्फास्ट्रक्चर निर्माण करने एवं मार्डन टैक्नोलॉजी आधारित मशीनों में बड़ी राशि निवेश करने की आवश्यकता होती है।

14. प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति-2024 के क्रियान्वयन के लिए इच्चेस्ट यू०पी० नोडल संस्था होगी।

15. **पात्रता मानदंड:** उक्त नीति के अंतर्गत ₹1000 करोड़ के न्यूनतम निवेश वाली मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) परियोजना प्रोत्साहन हेतु पात्र होगी।

16. **पात्र निवेश अवधि (ईआईपी):** प्राधिकरणों की नीति के अनुसार।

17. प्रोत्साहन पैकेज़:

फंट-एंड लैण्ड सब्सिडी: ऐसी परियोजनाओं को 30 प्रतिशत की अप-फ्रन्ट लैण्ड सब्सिडी दी जाएगी। यह लैण्ड सब्सिडी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों अथवा राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा लीज पर आवंटित किए जाने वाले भूखण्ड पर ही अनुमन्य होगी। ऐसी सब्सिडी आवंटन के समय राज्य सरकार की संस्था द्वारा निर्धारित वास्तविक आवंटन मूल्य पर प्रदान की जाएगी।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार की किसी संस्था की भूमि की वर्तमान दर में 30 प्रतिशत घटाते हुए लागत आंकलित करेगी और उक्त लागत आवंटी से प्राप्त करने के बाद भूमि लीज पर उपलब्ध करायेंगे। 30 प्रतिशत की धनराशि के रि-इम्बर्समेन्ट के लिए प्राधिकरण शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराएगा। उपरोक्त रि-इम्बर्समेन्ट हेतु बजट में पृथक मद सृजित कर के धनराशि प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी।

फंट एण्ड लैण्ड सब्सिडी प्राप्त करने वाली कम्पनी/संस्था को प्रधिकरण द्वारा आवंटित भूमि प्राधिकरण के पक्ष में कार्यशील होने/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तक बंधक रखनी होगी। (प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य अवधि में कार्यशील/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं करने की दशा में फंट एण्ड लैण्ड सब्सिडी की धनराशि प्राधिकरण द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज के साथ कम्पनी/संस्था से वसूल किया जाएगा।)

18. इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।

19. इन नीति के अंतर्गत परियोजनाओं की संस्तुति करने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक 'उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति' (HLEC) का गठन एक पृथक शासनादेश के माध्यम से किया जाएगा, इसमें संबंधित विभागों यथा आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, वित्त, न्याय, औद्योगिक विकास, परिवहन, नियोजन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन आदि के सदस्यों के साथ नोडल संस्था के प्रमुख सदस्य संयोजक होंगे।

'उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति' (HLEC) द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति पर मा० मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। फॉट एण्ड लैंड सब्सिडी की धनराशि का वितरण 'उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति' की संस्तुति पर मा० मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त किया जाएगा।

20. इस नीति की व्याख्या के लिए किसी भी स्पष्टता की आवश्यकता की स्थिति में 'उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति' (HLEC) से परामर्श किया जाएगा तथा मा० औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित 'उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति' की संस्तुतियों को अंतिम माना जाएगा। नीति में संशोधन HLEC की संस्तुतियों पर मा० मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

.....

५